बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

सं०सं०–2 / उ०नि०विविध(कलस्टर विकास)–14–13 / 12–..................– राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग प्रक्षेत्र से जुड़े उद्यमियों / कारीगरों को राष्ट्रीय बाजार की माँग और उसके अनुरूप नई तकनीक, अद्यतन तकनीकी के प्लांट / मशीनरी, पैकेजिंग प्रक्रिया कौशल और गुणवत्ता में सुधार करने की जानकारी उपलब्ध कराने डिजाइन केन्द्र, जाँच केन्द्र, Effluent Treatment Plant, प्रशिक्षण केन्द्र, कच्चा माल डिपो की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने, जिससे ये अपने उत्पाद की गुणवत्ता एवं उसके प्रस्तुती को आकर्षक बना सकें, फलतः ग्राहक और अधिक आकर्षित हो सकें, जिससे इन्हें उत्पादों का उचित एवं वांछित लाभ प्राप्त हो सके, के उद्देश्य से उद्योग विभाग के संकल्प सं0 4773 दिनांक 28.10.2013 द्वारा "मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना" के अंतर्गत "सामान्य सुविधा केन्द्र" की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के संचालन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिला में जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है:–

i-	जिला पदाधिकारी–	अध्यक्ष
ii-	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र–	संयोजक सदस्य
iii-	जिला योजना पदाधिकारी–	सदस्य
iv-	जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक–	सदस्य
v-	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान के प्रतिनिधि	सदस्य
vi-	कलस्टर से संबंधित पंचायत समिति के प्रमुख / जिला पर्षद के प्रतिनिधि / माननीय विधायक / सांसद के प्रतिनिधि–	सदस्य
vii-	डी0डी0एम, नाबार्ड–	सदस्य

2. समिति की बैठक तीन माह में एक बार आहुत की जायेगी। विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष की सहमति से बैठक बुलाई जा सकती है।

3. उक्त समिति सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में कार्यरत कलस्टरों के लिए बाजार विकसित कर प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप से उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने का कार्य भी करेगी।

4. योजना क्रियान्वयन में आनेवाली कठिनाइयों का स्थानीय समाधान जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–15.......................... पटना, दिनांक 02/01/2014

प्रतिलिपि– प्रभारी "ई" गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्। अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

vishwanath

ज्ञापांक–......15......   पटना, दिनांक 02/01/2014

2/उ0नि0विविध(कलस्टर विकास)–14–13/12

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/ विकास आयुक्त, बिहार, पटना/ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, विभाग, बिहार, पटना/ पंचायती राज विभाग, विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा/ उद्योग निदेशक, बिहार के निजी सहायक/ प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/ निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, पाटलिपुत्र, पटना/ संयोजक, राज्य स्तरीय बेंकर्स समिति, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना/ कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/ महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ डी0डी0एम, नाबार्ड/ अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–......15......   पटना, दिनांक 02/01/2014

2/उ0नि0विविध(कलस्टर विकास)–14–13/12

प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा प्रभारी "ई" गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट पर प्रेषित करने हेतु।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना